दूसरों की जिंदगी बचाई, सैकड़ों शव निकाले, गौताखोर के शव की तलाश में 45 घंटे लगे

■ जिस गौताखोर ने सैकड़ों जिंदगियां और शव निकाले, उसी का शव 45 घंटे बाद खान से निकला

रामगंजमंडी, (निसं)। दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए जिस पानी में वह बेखौफ उतरता था, जिस गौताखोर ने न जाने कितने शव पानी की गहराइयों से बाहर निकाले थे, बुधवार को उसी की जिंदगी एक ऐसी गहरी खान ने निगल ली, जिसमें से उसका शव निकालने में 45 घंटे लग गए। यह हादसा सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि एक परिवार के उस सहारे का अंत है, जो दूसरों के संकट में देवदूत बनकर पहुंचता था।

चेचट क्षेत्र के बोरीना गांव निवासी प्रकाश अहीर सोमवार को कुम्भकोट स्थित एएसआई कंपनी की बंद पड़ी खान नंबर-7 में ट्रैक्टर-ट्रॉली निकालने के लिए उतरे थे। करीब 50 फीट गहरी यह खान पानी से लबालब भरी थी। ट्रैक्टर-ट्रॉली असंतुलित होकर खान में गिर गई थी। चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रैक्टर को बाहर निकालने के लिए प्रकाश अहीर को बुलाया गया। प्रकाश को उम्मीद थी कि वह रोज की तरह पानी की गहराई में उतरेंगे और ट्रैक्टर को बाहर निकालने में मदद करेंगे। उन्होंने ट्रैक्टर को क्रेन से बाहर निकालने के लिए रस्सी बांधने के मकसद से करीब 50 फीट गहरे पानी में छलांग लगा दी। लेकिन इस बार वह वापस नहीं लौटे।

घंटों इंतजार के बाद जब प्रकाश पानी से बाहर नहीं आए तो गांव में हड़कंप मच गया। गौताखोरों की टीमें बुलाई गईं। सोमवार शाम करीब 7 बजे तक तलाश जारी रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मंगलवार को भी दिनभर पानी की गहराइयों में तलाश चलती रही, मगर प्रकाश का कोई पता नहीं चला। 45 घंटे तक परिवार की आंखें पानी की उस खान पर टिकी रहीं। हर बार उम्मीद जगती कि शायद प्रकाश जिंदा बाहर आ जाएं लेकिन हर गुजरता घंटा उस उम्मीद को तोड़ता गया। बुधवार को ट्रैक्टर-ट्रॉली को बाहर निकाला गया। इसके बाद कोटा नगर निगम की गौताखोर टीम ने दोबारा तलाश शुरू की।

आखिरकार वह भयावह सच सामने आया, जिसने पूरे गांव को झकझोर दिया। प्रकाश का शव ट्रैक्टर-ट्रॉली के पहिए में फंसा हुआ था। शव बाहर निकाला गया तो मौके पर मौजूद परिजनों की चीखें निकल गई। अपनों को बचाने वाला प्रकाश आज खुद जिंदगी की जंग हार चुका था। शव परिजनों को सौंप दिया गया।

घटना के बाद उपजिला प्रमुख कृष्णगोपाल अहीर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कंपनी से मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि खान कट चुकी थी और उसमें पानी भरा हुआ था, ऐसे में उसके चारों ओर सुरक्षा के लिए बाउंड्री होना जरूरी था। यदि सुरक्षा इंतजाम होते तो शायद यह हादसा टल सकता था।

उन्होंने सरकार से भी इसे प्राकृतिक आपदा मानते हुए नियमानुसार उचित मुआवजा देने तथा मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। प्रकाश दूसरों के घरों में मातम रोकने के लिए पानी में उतरता था लेकिन इस बार उसी पानी ने उसके अपने घर में मातम उतार दिया। जिसके हाथों ने सैकड़ों शवों को पानी से बाहर निकाला, उसी के शव को बाहर निकालने के लिए उसके अपने लोगों को 45 घंटे तक इंतजार करना पड़ा।

स्वाधीनता दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल

कोटा, (निसं)। स्वाधीनता दिवस समारोह-2026 शनिवार को महाराव उम्मेदसिंह स्टेडियम नयापुरा में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर प्रातः 9.15 बजे ध्वजारोहरण कर परेड का निरीक्षण करेंगे और मार्च-पास्ट की सलामी लेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल का संदेश भी पढ़ा जाएगा। समारोह के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों, वीरांगनाओं एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। साथ ही, सामूहिक व्यायाम, समूह गीत एवं सामूहिक नृत्य प्रस्तुति, बैंड प्रदर्शन आदि कार्यक्रम होंगे। मुख्य अतिथि शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर इससे पूर्व प्रातः 9:05 बजे शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पण करेंगे। इससे पहले 14 अगस्त को शाम 6 बजे से सिआम ऑडिटोरियम नयापुरा में सांस्कृतिक संध्या होगी जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। स्वाधीनता दिवस-2026 पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का पूर्वाभ्यास बुधवार को महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में किया जाएगा।

स्वतंत्रता दिवस से पहले कोटा स्टेशन पर पुलिस टीमों ने सघन जांच की

कोटा, (निसं)। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर कोटा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया गया, एंटी बम स्क्वाड, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने स्टेशन परिसर के प्रमुख और संवेदनशील स्थानों की सघन जांच की।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि कोटा रेलवे स्टेशन पर संयुक्त सुरक्षा जांच की गई। इस दौरान स्टेशन परिसर, वेटिंग हॉल, बुकिंग हॉल, प्लेटफॉर्म, गाड़ियों और फुट ओवर ब्रिज सहित अन्य संवेदनशील स्थानों को व्यवस्थित तरीके से चेक किया गया। जांच अभियान में सहायक सुरक्षा आयुक्त प्रथम यशवंत सिंह सलूजा, निरीक्षक कोटा पोस्ट मय 08 स्टॉफ, जीआरपी सी.आई.मय 06 स्टॉफ, एटीएस से एडिशनल एसपी ओमेंद्र सिंह शेखावत एवं निरीक्षक दीप्ति, इमरजेंसी रिस्पांस टीम, 2 बीएन कोटा से उप निरीक्षक कीर्ति मय 25 स्टाफ तथा बीडीडीएस के उप निरीक्षक पुरुषोत्तम एवं डॉग हैंडलर कमलेश डॉग के साथ शामिल रहे। अभियान के दौरान स्टेशन डायरेक्टर शशिभूषण, स्टेशन अधीक्षक वाणिज्य राकेश कुमार मीणा तथा विशेष खुफिया शाखा, कोटा के अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे।

चोरी की 47 बाइक बरामद, पुलिस ने उनके मालिकों को सुपुर्द की

कोटा, (निसं)। वाहन चोरी के मामलों में कोटा ग्रामीण पुलिस द्वारा बरामद की गई चोरी की मोटरसाइकिलों को फरियादियों तक पहुंचाने के लिये विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस ने वाहन मालिकों की हरसंभव मदद करते हुए 47 मोटरसाईकिलों को उनके मालिकों को सुपुर्द किया।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेष अभियान चलाया गया, उक्त अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों की विभिन्न थाना पुलिस टीम एवं सायबर सैल की विशेष टीमों द्वारा गत 3 माह में ही वाहन चोरी में संलिप्त अपराधियों पर सख्त कार्यवाही करते हुऐ 10 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कोटा ग्रामीण, कोटा शहर, झालावाड़, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़ एवं मध्यप्रदेश के विभिन्न थानों से चोरी हुई 81 मोटरसाईकिल बरामद की। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस ने बरामद चोरी की मोटरसाइकिलो में व्यक्तिगत प्रयास कर 47 मोटरसाईकिल उनके वास्तविक मालिकों-फरियादियों को सुपुर्द करने की कार्यवाही कराई।

ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस चोरी के मामलें में चोरों को गिरफ्तार कर एवं माल बरामद कर अपनी कार्यवाही पर विराम लगा देती है, परन्तु ग्रामीण पुलिस टीम ने पीडितों को न्याय एवं राहत पहुंचाना प्राथमिकता से समझा। ग्रामीण एसपी ने कहा कि कई बार ग्रामीण क्षेत्रों एवं बाहर जिलों के पीड़ितों को कोर्ट कचहरी के बारें में ज्यादा जानकारी नहीं होती है इसलिये ग्रामीण पुलिस ने अभियान चलाकर चोरी गई मोटरसाईकिलों के एक-एक फरियादियों से सम्पर्क कर उनके वाहन सुपुर्दगी बाबत् प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश करवाये, दस्तावेज पेश करने से लेकर सुपुर्दगी आदेश होने तक उनकी हर कार्यवाही में सहयोग किया। पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में 47 पीड़ितों को उनकी चोरी हुई मोटरसाईकिल सुपुर्द करवाई गई है एवं शेष वाहन स्वामियों के दस्तावेजात पूर्ण करवाकर न्यायालय में सुपुर्दगी की कार्यवाही जारी है।

रक्तदान शिविर कल

बूंदी, (निसं)। भगवान झूलेलाल चांलिया महोत्सव कार्यक्रम के तहत चिकित्सालय में रक्त की कमी को देखते 14 अगस्त शुक्रवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा।

स्वाधीनता दिवस समारोह में अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश

कोटा, (निसं)। स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग रवि वर्मा ने 15 अगस्त को सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्य समारोह स्थल महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में प्रातः 9 बजे एवं 14 अगस्त को सिआम ऑडिटोरियम में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

स्टेशन पर गंदगी फैलाने के 125 मामलों में 26,400 रुपये का जुर्माना लगाया

कोटा, (निसं)। रेलवे स्टेशन पर कचरा फैलाने व इधर-उधर पान या गुटका की पीक थूक देने वाले यात्रियो पर रेलवे ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे यात्रियों पर कोटा मंडल के स्टेशनों पर स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा स्वच्छता व्यवस्था की नियमित निगरानी की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मौके पर अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है।

मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा के मार्गदर्शन में चल रही इस निगरानी और कार्रवाई के तहत अगस्त माह में अब तक स्वच्छता नियमों के उल्लंघन के 125 मामलों में कुल 26,400 रुपये का अर्थदंड लगाया जा चुका है। इनमें रेलवे स्टेशन एवं प्लेटफॉर्म पर कचरा फैलाने, निर्धारित स्थान के अतिरिक्त थूकने आदि के मामले शामिल हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता बनाए रखना केवल रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यात्रियों की भी समान जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा स्टेशनों पर नियमित निगरानी की जा रही है, इसलिए यात्री यह न समझें कि स्टेशन पर उनकी गतिविधियों पर किसी की नजर नहीं है। स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर सीधे अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पशु-पक्षियों को दाना खिलाना, अनधिकृत सामग्री रखना तथा रेलवे ट्रैक, कोच या अन्य स्थानों पर कचरा डालना गंभीर श्रेणी के अपराध हैं, जिन पर 500 रुपये का जुर्माना निर्धारित है। इसी प्रकार, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, रेलवे ट्रैक या कोच में निर्धारित कूड़ेदान के बजाय कहीं और कचरा फेंकना तथा निर्धारित स्थान के अतिरिक्त थूकना लघु श्रेणी के अपराध हैं, जिन पर 200 रुपये का जुर्माना निर्धारित है।

'तेल प्रसंस्करण इकाई लगाएं, 9 लाख 90 हजार रुपए तक अनुदान पाएं'

कोटा, (निसं)। केन्द्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-तिलहन मिशन प्रारम्भ किया गया है। मिशन का उद्देश्य रणनीतिक रूप से आयातित खाद्य तेलों पर देश की निर्भरता को कम कर घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना एवं किसानों की आय में सुधार कर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है।

योजना में 10 टन क्षमता की तेल निष्कर्षण इकाइयों की स्थापना एवं प्रसंस्करण के लिए मशीनरी और उपकरण के लिए परियोजना लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 9 लाख 90 हजार रुपए तक की सहायता राशि सरकारी या निजी उद्योगों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) एवं सहकारी समितियों को देय है। भारत सरकार द्वारा जारी ऑपरेशनल दिशा-निर्देशानुसार मशीनरी और उपकरणों की स्थापना पर ही अनुदान देय होगा। भवन और भूमि की लागत को परियोजना लागत में सम्मलित नहीं किया जाएगा। तेल निष्कर्षण या प्रसंस्करण इकाई की स्थापना में मूल्य श्रृंखला भागीदार (वीसीपी) को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है।

साथ ही, मिशन के तहत प्रथमतः स्थापित होने वाली तेल निष्कर्षण इकाईयों का राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार तथा भौतिक व ऑनलाइन बिक्री वीसीपी ब्रान्ड को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना मुख्य उद्देश्य फसल कटाई उपरान्त स्थानीय बाजार में बुनियादी ढांचे स्थापित करना एवं तिलहनी संबंधी तेल निष्कर्षण और प्रसंस्करण इकाईयों की दक्षता बढ़ाना है।

साथ ही, किसानों को अधिक लाभ दिलाने के लिए मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है ताकि किसान उत्पादक संगठन या सहकारी संस्थाएं स्थानीय बाजार में तिलहनी प्रोसेसर के साथ जुड़कर बेहतर रिर्टन सुनिश्चित कर सकें।

चैन स्नैचर गिरफ्तार

कोटा (निसं)। जवाहर नगर, साईबर सैल एवं डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दस हजार के इनामी शातिर चैन स्नैचर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौत्तम ने बताया कि 21 जून को फरियादी ने जवाहर नगर थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि उसकी माँ मोहिनी मालव रोजाना इन्द्रा विहार से मारुति नंदन हनुमान जी मंदिर सेक्टर-1 तलवंडी के दर्शन करने व घूमने जाती है घर से घूमने गई थी, दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आये व पीछे बैठा हुआ व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतरकर उसकी माँ के गले में सोने की चेन झपट्टा मारकर ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर कार्रवाई के लिए जवाहर नगर थाना अधिकारी मुकेश मीणा के नेतृत्व में टीम गठित की।

कार्यालय सेठ भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति
"विशिष्ट श्रेणी" (अनाज) कोटा
क्रमांक :- लेखा/निलामी/2026-27/1376-1381 दिनांक :- 06/08/2026
नीलामी सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस मण्डी समिति परिसर में उपलब्ध अनुपयोगी/नकारा/स्कैप भण्डार सामाग्री जिसकी कीमत 980178/- रूपये है की खुली नीलामी बोली दिनांक 20.08.2026 गुरूवार दोपहर 2.00 बजे से कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा के कार्यालय में लगायी जावेगी। इच्छुक बोलीदाता दिनांक 20.08.2026 को दोपहर 1.00 बजे तक आवेदन पत्र मय 19700/- रूपये धरोहर राशि नगद जमा करवाकर बोली में भाग ले सकते है। नीलामी संबंधी जानकारी वेबसाईट sppp.raj.nic.in पर भी उपलब्ध है। नीलामी संबंधी विस्तृत जानकारी एवं अन्य शर्ते कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में आकर देखी/प्राप्त की जा सकती है। UBN No.: DAM2627WSOB00437
राज.संवाद/सी/26/9614 सचिव

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/966 **विज्ञप्ति** दिनांक : 28.7.2026
सर्व साधारण को जयें विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रंगबाड़ी योजना "कृष्णा नगर" खसरा नं. 92 में स्थित भूखण्ड संख्या 18 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदक/आवेदिका श्री अनील कुमार अग्रवाल पुत्र श्री चन्द्रभान अग्रवाल निवासी म.नं. 160-बी, इन्द्रा विहार जिला कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 286 दिनांक 17.05.2013 को श्रीमती शीला देवी पत्नि श्री चन्द्रभान अग्रवाल के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार मृत्यु दिनांक 14.10.2024 को हो चुकी है। पट्टेधारी द्वारा अपने जीवनकाल में जयें रजि. वसीयतनामा दिनांक 04.08.2017 से आवेदक के पक्ष में किया गया है। इस वसीयतनामा के आधार पर आवेदक द्वारा भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अत. श्री अनील कुमार अग्रवाल पुत्र श्री चन्द्रभान अग्रवाल के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा
क्रमांक-1496 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-10.8.26
आवास संख्या 4-त-30 विज्ञान नगर, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री शकूर खान पुत्र श्री गंभीर खान को किया गया था। उक्त आवास का पंजीयन श्री शकूर खान पुत्र श्री गंभीर खान द्वारा दिनांक 07.09.1991 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री शकूर खान पुत्र श्री गंभीर खान द्वारा उक्त आवास के समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से अपना मुख्तारआम जरिये मुख्तारनामा आम आलेखित कर दिनांक 07.09.1991 को श्री रियासत अली पुत्र श्री अब्दुल सत्तार को अपना मुख्तारआम नियुक्त किया गया। श्री रियासत अली पुत्र श्री अब्दुल सत्तार मुख्तारआम श्री शकूर खान पुत्र श्री गंभीर खान द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये बयनामा आलेखित कर दिनांक 25.02.1997 को श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री पेसूमल को किया गया। श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री पेसूमल द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 17.05.2006 को श्री साबिर हुसैन पुत्र श्री मुस्तफा खाँ को किया गया। श्री साबिर हुसैन पुत्र श्री मुस्तफा खाँ का मंडल अभिलेख में दिनांक 11.07.2014 को नाम दर्ज किया गया है। श्री साबिर हुसैन पुत्र श्री मुस्तफा खाँ द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 24.07.2014 को श्री प्रदीप कुमार गोयल पुत्र श्री भैरूलाल गोयल को किया गया। श्री प्रदीप कुमार गोयल पुत्र श्री भैरूलाल गोयल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवाल संख्या 4-त-30 विज्ञान नगर, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख मे दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।
अतः उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री प्रदीप कुमार गोयल पुत्र श्री भैरूलाल गोयल का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री प्रदीप कुमार गोयल पुत्र श्री भैरूलाल गोयल का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री प्रदीप कुमार गोयल पुत्र श्री भैरूलाल गोयल के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।
उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

प्रारूप-10 (नियम 6 (7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय...नगर परिषद बून्दी (राज.)
क्र.सं. 5589 **लोक सूचना** दिनांक : 11.8.2026
आवेदक श्री लेखराज मेघवाल पुत्र श्री धन्नालाल निवासी चापरस तहसील व जिला बून्दी ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का-गैर कृषि से अकृषि कृषि फ्लाई एस ईट उद्योग प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
तहसील बून्दी जिला बून्दी	ग्राम रामगंज	946/408	कुल रकबा 0.2948 है. यानी 2948 वर्गमीटर कृषि से अकृषि कृषि फ्लाई एस ईट उद्योग प्रयोजनार्थ

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृत अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपयुर्क्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज दिनांक 11.8.2026 को जारी की गयी।
आयुक्त नगर परिषद बून्दी

प्रारूप-10 (नियम 6 (7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगरपालिका मण्डल हिण्डोली (बून्दी) राज.
क्रमांक-न.पा.हि./कृषि भूमि/2026-27/1722 **लोक सूचना** दिनांक : 10.08.26
खातेदार श्री उषा जैन पत्नी श्री पवन कुमार जैन निवासी हिण्डोली जिला बून्दी राज. खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का कृषिक से गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	चाहा गया उपयोग	खसरा नं.	क्षेत्र
हिण्डोली बून्दी	हिण्डोली	कृषिक से गैर कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ	2471	0.2833 है. में से हिस्सा 1/3

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृत अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज.......को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका हिण्डोली

प्रारूप-10 (नियम 6 (7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगरपालिका मण्डल हिण्डोली (बून्दी) राज.
क्रमांक-न.पा.हि./कृषि भूमि/2026-27/1719 **लोक सूचना** दिनांक : 10.08.26
खातेदार श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री दुर्गालाल, पवन कुमार पुत्र श्री बिरधीचन्द्र निवासी हिण्डोली जिला बून्दी राज. खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का कृषिक से गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	चाहा गया उपयोग	खसरा नं.	क्षेत्र
हिण्डोली बून्दी	हिण्डोली	कृषिक से गैर कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ	6870/1877 6875/1881 6964/6869 6966/6874	0.0162 है. 0.0405 है. 0.0081 है. 0.0445 है.

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृत अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज.......को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका हिण्डोली

अरुंधति चौधरी का सम्मान

कोटा, (निसं)। राजस्थान की बेटी अरुंधति चौधरी ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित 2026 कॉमनवेल्थ खेलों की महिला 70 किलोग्राम बॉक्सिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है।

कोटा में विश्व सिन्धी सेवा संगम कोटा चैप्टर के अध्यक्ष प्रेम भाटिया, सचिव किशन रतनानी, कोषाध्यक्ष मोहन इसरानी, निदेशक संतोष करमचंदानी, बसंत वलेचा ने अरुंधति चौधरी को सम्मानित किया। भाटिया एन्ड कंपनी के स्टाफ ने निदेशक रजनी शर्मा के नेतृत्व में उनका माल्यार्पण किया। अपने स्वागत भाषण में प्रेम भाटिया ने कहा कि कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने 2026 कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। संचालन करते हुए किशन रतनानी ने कुदरत का कमाल है ये बेटी बेमिसाल है कविता प्रस्तुत की।

नाम परिवर्तन
मैंने अपना पुराना नाम अरवा बानू (ARVAH BANU) से बदलकर नया नाम अरवा बानू बोहरा (ARVAH BANU BOHRA) रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।
पता-अरवा बानू बोहरा पत्नि मुर्तजा अली बोहरा शिव कॉलोनी धाबेश्वर रोड निम्बाहेडा चित्तौडगढ़

नाम परिवर्तन
मैं अरवा बानू बोहरा पत्नि मुर्तजा अली बोहरा मैंने अपनी पुत्री का पुराना नाम इन्सिया (INSIYA) से बदलकर नया नाम इन्सिया बोहरा (INSIYA BOHRA) रख दिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को इसी नाम से जाना पहचाना जावे।
पता-इन्सिया बोहरा पुत्री मुर्तजा अली बोहरा शिव कॉलोनी धावेश्वर रोड निम्बाहेडा चित्तौडगढ़

खोया पाया
राकेश मित्तल पुत्र बंसीलाल मित्तल 4-FA-29 विज्ञान नगर कोटा मूल निरस्तीकरण गुम हो गया है किसी को मिलने पर सूचित करे।

सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राधाकृष्ण खण्डेलवाल पुत्र रघुनाथ खण्डेलवाल की खरीदशुदा सम्पति भूखण्ड संख्या 78-ई, श्रीनाथपुरम, कोटा में स्थित है। राधाकृष्ण खण्डेलवाल के द्वारा एचडीएफसी लि. से ऋण लिया हुआ था तथा उक्त सम्पति के समस्त असल दस्तावेजात एचडीएफसी बैंक लि. में रहन कर रखे है। राधाकृष्ण खण्डेलवाल का दिनांक 11.04.2025 को देहान्त हो चुका है। राधाकृष्ण खण्डेलवाल की पत्नी विष्णुकान्ता ने यह जाहिर किया है कि उनके अतिरिक्त स्व. राधाकृष्ण खण्डेलवाल के पुत्र स्नेह कुमार, अमित कुमार तथा पुत्रियाँ पूर्णिमा, संगीता एवं निशा ही विधिक वारिसान हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कोई वारिसान नहीं है। उक्त सम्पत्ति के पेटे लिए हुए ऋण की पूर्ण अदायगी एचडीएफसी बैंक लि. को की जा चुकी है, स्व. राधाकृष्ण खण्डेलवाल की पत्नि श्रीमती विष्णुकान्ता उक्त सम्पत्ति के समस्त असल दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहती है। यदि इस सम्बन्ध में किसी भी दीगर व्यक्ति/संस्था/कम्पनी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो मय दस्तावेज सूचना प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस की अवधि में अद्योहस्ताक्षरकर्ता या एचडीएफसी बैंक लि. शाखा झालावाड़ रोड़, कोटा के समक्ष लिखित आपत्ति मय दस्तावेज प्रस्तुत करे। बाद गुजरने मियाद सूचना कोई भी आपत्ति मान्य एवं प्रभावी नहीं होगी।
दिनांक : 11.08.2026
(संदीप जैन) एडवोकेट
583-ए, तलवण्डी, कोटा
मो.नं.: 9829180432

सीएलजी की बैठक आयोजित

कोटा, (निसं)। कानून-व्यवस्था, ट्राफिक व्यवस्था, पार्किंग, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही आदि के सम्बंध में सुझाव के लिये थाना कोतवाली में पुलिस अधिकारियों ने सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक कर वार्ता की। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि बैठक के दौरान सीएलजी एवं शांति समिति सदस्यों द्वारा जिले में कानून-व्यवस्था, ट्राफिक व्यवस्था, पार्किंग, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही आदि के सम्बंध में सुझाव दिये गये। उक्त बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसआईयूसीएडब्ल्यू, वृताधिकारी वृत तृतीय व थानाधिकारी थाना कैथूनीपोल, मकबरा, कोतवाली जिला कोटा शहर उपस्थित रहे।

कार से 7,29,500 नकद बरामद, एक को डिटेन किया

कोटा, (निसं)। आरकेपुरम् पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार्यवाही करते हुए एक कार से 7,29,500 रूपये नकद बरामद किये, टीम ने कार्यवाही करते हुए राशि एवं कार को जप्त किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि आरकेपुरम् थानाधिकारी महेन्द्र कुमार मारू ने मय जाप्ता हैगिंग ब्रिज टोल नाका नयागांव पुलिया के समीप नाकाबंदी कर वाहनों की चैकिंग की।

शहर एसपी ने बताया कि पुलिस नाकाबंदी के दौरान एक कार को रोककर कार चालक से पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान चालक पर संदेह होने पर टीम ने चालक को डिटेन कर नियमानुसार कार की तलाशी ली तो तलाशी के दौरान कार से भारी मात्रा में नकदी राशि 7,29,500 रूपये बरामद किये गये।